राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय
दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर

क्रमांक प.2(1)(31)सं.अराज /अनुकम्पा नियुक्ति/2023/13216 दिनांक 29/10/2025

आदेश

रोजगार सेवा निदेशालय,जयपुर में पदस्थापित श्री विनोद कुमार मीणा का दिनांक 14.09.2023 को स्वर्गवास हो जाने के कारण उनकी पत्नी जन्म दिनांक 22.08.1977 (बाईस अगस्त उन्नीस सौ सतहत्तर) माध्यमिक परीक्षा–1993 उत्तीर्ण, नामांक 589373 की अंक तालिका के आधार पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 7(2) डीओपी/ए–II/05 दिनांक 20.1.2006 के प्रावधानानुसार जिला रोजगार कार्यालय,सीकर मे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद पर नियुक्ति कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिए एतद्द्वारा की जाती है।

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक राज.सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतन) नियम–2017 का नियम 16–अनुसूची IV (समय–समय पर संशोधित) के अनुसार एक मुश्त राशि 12,600/–रू.(अक्षरे रू0 बारह हजार छः सौ मात्र) प्रतिमाह देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाऐं एवं अवकाश आदि राज. सेवा नियमों आदि में प्रोबेशन ट्रेनी के लिये लागू संशोधित प्रावधानानुसार देय होगें। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें।

यह नियुक्ति राजस्थान राज्य मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 एवं इनमें समय–समय पर किये गये संशोधनों के अन्तर्गत निम्न शर्तो पर की जाकर श्रीमती सरोज मीणा की पदस्थापना विभाग में जिला रोजगार कार्यालय,सीकर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद पर की जाती हैः–

1. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि सन्तोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त राज्य सरकार के द्वारा तत्समय जारी पेंशन योजना लागू होगी।
2. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.2.2001 के नियमों में किये गये प्रावधानानुसार मृतक के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण पोषण करना अनिवार्य होगा। यदि प्रार्थी द्वारा मृतक के अन्य आश्रितों का उचित भरण पोषण नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी अपना मूल स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र (जो छः माह से अधिक पुराना न हो) प्रस्तुत करने होगें।
5. यदि अभ्यर्थी के दस्तावेजो में कोई कमी अथवा फर्जी पाये जाते है तो इनकी सेवाऐं तत्काल समाप्त कर दी जायेगी एवं अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

RajKaj Ref No.:
18443852
eSign DSC

प्रार्थी को निम्नानुसार नोन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा :–

1. कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 7(1)डीओपी क–2/97 दिनांक 20.6.2001 के द्वारा सन्तान संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों में अभिकथित
   निबंधनो एवं शर्तो के अध्याधीन होगी।
3. अभ्यर्थी की नियुक्ति के समय पुनर्विवाह नही करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने का शपथ पत्र ।

श्रीमती सरोज मीणा पत्नी स्वर्गीय श्री विनोद कुमार मीणा को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा साथ ही इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस में विभाग में कार्यग्रहण नहीं किया तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

आयुक्त

क्रमांक प.2(1)(31)सं.अराज /अनुकम्पा नियुक्ति/2023/ 13217-224 दिनांक 29/10/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री कौशल, नियोजन, उद्यमिता एवं खेल विभाग,राज.,जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कौशल, नियोजन, एवं उद्यमिता विभाग,राज.,जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त, कौशल, नियोजन, एवं उद्यमिता विभाग,राज.,जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राज.जयपुर।
5. जिला रोजगार अधिकारी ,जिला रोजगार कार्यालय सीकर को श्रीमती सरोज मीणा का मूल आवेदन पत्र मय दस्तावेज प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे श्रीमती सरोज मीणा को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र में दी गई सूचना समस्त मूल दस्तावेजो/प्रमाण पत्रों की जांच के साथ–साथ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस सत्यापन भी जांच लेवें तथा उनके नियुक्ति आदेश में वर्णित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करते हुये श्री सरोज मीणा के कार्यग्रहण की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवावें। (संलग्न– आवेदन पत्र मय मूल दस्तावेज) (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)
6. लेखाधिकारी, रोजगार सेवा निदेशालय,जयपुर।
7. श्रीमती सरोज मीणा पत्नी स्वर्गीय श्री विनोद कुमार मीणा ग्राम पोस्ट कुशलपुरा जिला सीकर को प्रेषित कर लेख है कि कार्य ग्रहण करने हेतु मूल शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों सहित जिला रोजगार कार्यालय जिला रोजगार कार्यालय सीकर से संपर्क करें। (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)
8. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

Document certified by RISHAV MANDAL <meraka8334@minhlun.com>.

Digitally Signed by RISHAV MANDAL
Designation: Commissioner
Date :29-10-2025 01:08:10

RajKaj Ref No.: 18443852

eSign DSC